Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 130-2019/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, AUGUST 2, 2019 (SRAVANA 11, 1941 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 2nd August, 2019

No. 28-HLA of 2019/67/11867.— The Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Amendment Bill, 2019, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :–

Bill No. 28—HLA of 2019

THE HARYANA GROUP D EMPLOYEES (RECRUITMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT BILL, 2019

A

BILL

further to amend the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:-

Short title, commencement and application.

1. (1) This Act may be called the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Amendment Act, 2019.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 14th June, 2019.

(3) It shall apply to the advertisement published after the commencement of this Amendment Act.

Amendment of First Schedule to Haryana Act 5 of 2018.

2. In the First Schedule to the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018 (hereinafter called the principal Act), under column 3, against serial number 1, for entries against items (i) and (ii), the following entry shall be substituted, namely:–

"Matriculation from recognized Board with Hindi or Sanskrit as one of the subject.".

Substitution of Second Schedule to Haryana Act 5 of 2018.

3. For Second Schedule to the principal Act, the following Schedule shall be substituted, namely:–

"SECOND SCHEDULE

[see section 10 (1)]

CRITERIA FOR SELECTION

1. The selection and recommendation of the names of the candidates belonging to Group D posts in all departments shall be done on the basis of written exam, socio–economic criteria and experience.

2. The Commission shall be at liberty to set the number of questions, marks per question and duration of written examination. The scheme of marks in respect of selection to the post shall comprise of total 100 marks, as detailed below, namely:-

Serial number	Subject	Marks
1.	Written exam	90
2.	Socio-economic criteria and experience	10

3. The 90 marks for written exam shall be divided into two parts comprising,-

(a) 75% weightage for General Awareness, Reasoning, Maths, Science, Computer, English, Hindi and concerned or relevant subject, as applicable;

(b) 25% weightage for History, Current Affairs, Literature, Geography, Civics, Environment, Culture etc. of Haryana.

4. The 10 marks for socio-economic criteria and experience shall be allocated as follows,-

(a) if neither the applicant nor any person from amongst the applicant's family viz father, mother, spouse, brothers and sons is, was or has been a regular employee in any Department/ Board/ Corporation/ Company/ Statutory Body/ Commission/ Authority of State or any other State Government or Government of India;

(5 marks)

(b) if the applicant is,–

(i) a widow ; or

(ii) the first or the second child and his father had died before attaining the age of forty–two years; or

(iii) the first or the second child and his father had died before the applicant had attained the age of fifteen years;

(5 marks)

(c) if the applicant belongs to such a denotified tribe (Vimukt Jatis and Tapriwas Jatis) or Nomadic tribe of the State which is neither a Scheduled Caste nor a Backward Class;

(5 marks)

(d) One-half (0.5) mark for each year or part thereof exceeding six months of experience, out of a maximum of sixteen years, on the same or a higher post in any Department/ Board/ Corporation/ Company/ Statutory Body/ Commission/ Authority of State. No marks shall be awarded for any period less than six months.

(maximum 8 marks)

Note.— No applicant shall be given more than a total of 10 marks for socio-economic criteria and experience under any circumstances.".

Repeal and savings.

4. (1) The Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Amendment Ordinance, 2019 (Haryana Ordinance No. 1 of 2019) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the principal Act, as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018 (Haryana Act No. 5 of 2018) was enacted with an object of providing uniformity in qualifications for various Group D posts criteria, introduction of provision in preparing waiting list, uniformity in fixation of seniority, probation, provision of appeal in case of discharge, promotion, appointment by recruitment, by way of transfer and resignation & acceptance thereof, in addition to provision of power to remove difficulties within a maximum period of three years of the commencement of the Act and placing the same before the State legislature as soon as possible.

However, the State of Haryana has faced some difficulties, while interpreting and implementing the provisions of the said Act No. 5 of 2018. In order to mitigate the difficulties it is necessary to make certain amendments in Act No. 5 of 2018. Accordingly, to achieve the said purpose, the need to amend Haryana Act No. 5 of 2018 has become necessary.

MANOHAR LAL,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 2nd August, 2019.

R. K. NANDAL,
Secretary.

(प्राधिकृत अनुवाद)

2019 का विधेयक संख्या 28 एच०एल०ए०

हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2019
हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा लागूकरण।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, 2019, कहा जा सकता है।

(2) यह 14 जून, 2019 से लागू हुआ समझा जाएगा।

(3) यह इस संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ के बाद प्रकाशित किए गए विज्ञापन को लागू होगा।

2018 का हरियाणा अधिनियम 5 की प्रथम अनुसूची का संशोधन।

2. हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की प्रथम अनुसूची में, खाना 3 नीचे, क्रम संख्या 1 के सामने, मद (i) तथा (ii) के सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''मान्यताप्राप्त बोर्ड से एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत सहित मैट्रिकुलेशन।''।

2018 का हरियाणा अधिनियम 5 की द्वितीय अनुसूची का प्रतिस्थापन।

3. मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''द्वितीय अनुसूची

[देखिए धारा 10 (1)]

चयन के लिए मानदण्ड

1. सभी विभागों में ग्रुप घ पदों से संबंधित उम्मीदवारों के चयन तथा नामों की सिफारिश लिखित परीक्षा, सामाजिक–आर्थिक मानदण्ड तथा अनुभव के आधार पर की जाएगी।

2. आयोग को प्रश्नों की संख्या, प्रति प्रश्न अंक तथा लिखित परीक्षा की कालावधि निर्धारित करने की स्वतन्त्रता होगी। पद पर चयन के संबंध में अंकों की स्कीम में कुल 100 अंक समाविष्ट होंगे, जिनका विवरण नीचे दिए अनुसार है, अर्थात् :–

क्रम संख्या	विषय	अंक
1	लिखित परीक्षा	90
2	सामाजिक–आर्थिक मानदण्ड तथा अनुभव	10

3. लिखित परीक्षा के लिए 90 अंक निम्नलिखित को समाविष्ट करते हुए दो भागों में विभाजित किए जाएंगे,–

(क) सामान्य ज्ञान, विवेक–बुद्धि, गणित, विज्ञान, कम्प्यूटर, अंग्रेजी, हिन्दी तथा यथा लागू संबद्ध या सुसंगत विषय के लिए 75 प्रतिशत अधिमान ;

(ख) हरियाणा के इतिहास, सामयिक मामलों, साहित्य, भूगोल, नागरिक–शास्त्र, पर्यावरण, संस्कृति इत्यादि के लिए 25 प्रतिशत अधिमान।

4. सामाजिक–आर्थिक मानदण्ड तथा अनुभव के लिए 10 अंक निम्नानुसार आबंटित किए जाएंगे,–

(क) यदि न तो आवेदक और न ही आवेदक का परिवार अर्थात् पिता, माता, पति–पत्नी, भाईयों और बेटों में से कोई भी व्यक्ति, राज्य या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी विभाग/बोर्ड/निगम/कंपनी/वैधानिक निकाय/आयोग/ प्राधिकरण में नियमित कर्मचारी है, था या रहा है;

(5 अंक)

(ख) यदि आवेदक,–

(i) विधवा है ; या

(ii) प्रथम या द्वितीय बालक है और उसके पिता की मृत्यु बयालीस वर्ष की आयु पूरी होने से पहले हो गई हो; या

(iii) प्रथम या द्वितीय बालक है और उसके पिता की मृत्यु आवेदक के पन्द्रह वर्ष की आयु पूरी होने से पहले हो गई हो;

(5 अंक)

(ग) यदि आवेदक ऐसी अन्अधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति और टापरीवास जाति) या राज्य की घुमंतू जनजाति से संबंधित है, जो न तो अनुसूचित जाति है और न ही पिछड़ा वर्ग है;

(5 अंक)

(घ) राज्य के किसी विभाग/बोर्ड/निगम/कम्पनी/वैधानिक निकाय/ आयोग/ प्राधिकरण में समान या उच्चतर पद पर अधिकतम सोलह वर्षों में से अनुभव के प्रत्येक वर्ष या छह मास से अधिक के उसके भाग के लिए आधा (0.5) अंक। छह मास से कम की किसी अवधि के लिए कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा।

(अधिकतम 8 अंक)

टिप्पण.– किसी भी आवेदक को किन्हीं भी परिस्थितियों में सामाजिक–आर्थिक मानदण्ड तथा अनुभव के लिए कुल 10 अंकों से अधिक अंक नहीं दिये जाएंगे।''।

4. (1) हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) संशोधन अध्यादेश, 2019 (2019 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 1), इसके द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन तथा व्यावृत्तियां।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्य तथा कारणों का विवरण

विभिन्न ग्रुप घ पदों आयु, योग्यताओं तथा सामाजिक आर्थिक मानदण्ड तथा अनुभव को महत्व देने में एकरूपता उपबन्धित करने के उद्देश्य से हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी भर्ती तथा सेवा की शर्तें (अधिनियम 2018) का हरियाणा अधिनियम संख्या 5 बनाया गया था। अधिनियम के प्रारम्भ में अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के भीतर कठिनाई दूर करने की शक्ति के प्रावधान के अतिरिक्त, अधिनियम की कुछ मुख्य विशेषताएं भी जैसे एकरूप चयन मानदण्ड, प्रतीक्षा सूची तैयार करने का प्रावधान, आयु में एकरूपता, योग्यताओं तथा सामाजिक आर्थिक मानदन्ड तथा अनुभव को महत्व देना, ज्येष्ठता निर्धारण में एकरूपता, परिवीक्षा, सेवान्मुक्ति, पदोन्नति, स्थानान्तरण तथा त्यागपत्र तथा उनके स्वीकारने की स्थिति में अपील का प्रावधान।

उक्त 2018 का हरियाणा अधिनियम संख्या 5 के प्रावधानों को विवेचन तथा लागू करते समय हरियाणा राज्य द्वारा कुछ कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। 2018 के हरियाणा अधिनियम संख्या 5 में कुछ संशोधन करना आवश्यक है। तदानुसार उक्त प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए 2018 के हरियाणा अधिनियम संख्या 5 को संशोधित करना आवश्यक हो गया है।

मनोहर लाल,
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 2 अगस्त, 2019.

आर० के० नांदल,
सचिव।

57244—H.V.S.—H.G.P. Chd.